संख्या-2/524/अड्तीस-5-14-77सम/2005

प्रेषक,

दिनेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी निदेशक,
राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,
लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक 27 मार्च, 2014

विषयः-वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक से कार्यदायी संस्थाओं द्वारा गत वर्षों में ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में कराये गये कार्यों के सापेक्ष सेन्टेज की स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा कराये गये कार्यों के सापेक्ष अवशेष सेन्टेज की प्रतिपूर्ति हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-13 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 96,34,00,000/- (रूपये छियानब्बे करोड़ चैतीस लाख मात्र) की धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1 उक्त स्वीकृत धनराशि अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा कोषागार से आहरित कर भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम एकाउन्ट में जमा किया जायेगा।

2 प्रतिशत प्रभार की दर विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17 (4)/ 75, दिनांक 25 जनवरी, 2011 में वर्णित दिशा-निर्देशों के अनुसार उपरोक्त अवधि में ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यो के सापेक्ष अनुमन्य अवशेष सेन्टेज का आकलन करते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश जल निगम को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी।

3 उपर्युक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-640/ दस-2013-231/2013, दिनांक 28 मार्च, 2013 में उल्लिखित शर्तो के अधीन है।

4 आवंटित धनराशि को अनिवार्यतः उसी मद में व्यय किया जाय, जिसके सापेक्ष स्वीकृति दी गयी है।

2- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन में तैनात वित्तीय सलाहकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में अनुदान संख्या-13 के लेखा शीर्षक- 4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूॅजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-जलपूर्ति-102- ग्रामीण जलपूर्ति-01-केन्द्रीय

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (एन.आर.डी.डब्लू.पी.) (के.50/रा.50-रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-347/दस-2014/2014, दिनांक 27 मार्च, 2014 में प्राप्त सहमति के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या-524 (1)/अडतीस-5-14, तद्दिनांक

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0।
2. सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (ग्रामीण), उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
7. वित्तीय सलाहकार, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, लखनऊ।
8. नियोजन अनुभाग-3/ ग्राम्य विकास अनुभाग-3।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
10. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(दिनेश प्रताप सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in